

क्रमांक 4(300)

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला कटनी /
क्रमांक पुत्र/कटनी/शिका/एस0टी0/155/08 दिनांक 12.08

श्री अरवि कुमार (निर्देशक)
राज्य अनुसूचित जात जाति आयोग
राज कोसों

शीघ्र

विषय - नंदीबारा के मृतक के संबंध में ।
संदर्भ - शासक पत्र क्रमांक एस0टी0/38/08, जलयाचार/अरपू03/दिनांक 2.08

-----000-----

20/08/08
16/12/08

मृतक विपत्तिकांत शिकारत पत्र की जांच अनुविभागीय अधिकारी पुत्रि
श्री0डी0रिड के माध्यम से कराई जाकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। जांच पर पार
नरनोकान पिता नरनोक सुमिया लक्ष्मी सात गिजारी राम सलैया सिहोरा थाना ।
08 सति कड़ाव 09 बजे घर से निकला था दिनांक 21.1.08 की प्रातः मृतक नंदी
अधुना के घर। जांच के अन्तर्गत मिला था। सूचना पर थाना डरही में मर्ग क्रमांक
कड0टी0 कायम कर गेजनाम कापवाही की गई पंचानों द्वारा बताया गया कि मृ
निवासी श्री मृतक नरनोक जब घर से निकला होगा घटना स्थल पर निर्गी के व
स्थल में सट होने से मृतक नहीं उठ सका होगा और फौत हो गया होगा मृतक के
अन्तर्गत मिला था। इस विषय पीअब किया गया विसरा का एफ0एस0एल0 सा
परिक्षण कराया गया। परीक्षण रिपोर्ट में विश नहीं पाया गया। जांच के दौरान मृत
क पत्र का कथन किया गया। निम्नी ने भी मृतक की मृत्यु में कोई शक जाहिर नहीं
जांच परचात अनुविभागीय उपनिर्देशकारी विजयराघवगठ के द्वारा दिनांक 22.9.08
कायम की गई है।

विजयराघवगठ
काया कि मृतक
दिनांक 30.1.
का शव दूगा
06 धारा 174
को निर्गी की
गिर जाने से
व का पी0एम0
से रासायनिक
के परिवार जून
हया गया मर्ग
डावरी थाना

शिकारत पत्र की जांच पर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये
सहित प्रेषित है।

वेदन मूल पत्र

संदर्भ - उपरोक्तानुसार

20/08
अधीक्षक

प्रतिक्रिया - कलेक्टर कटनी को पत्र क्रमांक 87/04/एस0डब्लू/2008 दिनांक 3-
सदरमा में मूल पत्र सहित सूचनाई।

कटनी
18 के

अधीक्षक
कटनी

3/12/08

A. Rajan
A. Ant up
22/12/08